जागरूकता से कार्रवाई तकः दिव्यांगता अधकारों को लेकर भारत की प्रतिबद्धता

(सामाजिक न्याय एवं अधकारिता मंत्रालय)

5 अक्टूबर 2024

भारत में दिव्यांगता अ धकार एक परिवर्तनकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जो दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लए समावे शता और सशक्तिकरण के लए सरकार की प्रतिबद्धता से प्रेरित है। यह आंदोलन व भन्न नीतियों और उपक्रमों द्वारा सम र्थत है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है क प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कसी भी क्षमता का हो, अवसरों तक पहुंच सके और समाज में पूरी स क्रयता से भाग ले सके। इस प्रयास के केंद्र में सुगम्य भारत अ भयान है, जिसे सरकार द्वारा शक्षा, परिवहन और सार्वजनिक स्थानों पर बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लए शुरू कया गया है, जिससे सभी के लए पहुंच बढ़ जाती है।

भारत सरकार ने वत्तीय सहायता कार्यक्रम, कौशल वकास पहल और शक्षा के लए समर्थन सहित सशक्तिकरण पर केंद्रित कई योजनाओं को भी लागू कया है। इन प्रयासों में से एक है दिव्य कला मेला, एक ऐसा कार्यक्रम जो दिव्यांग कारीगरों की शल्प कौशल का उत्सव मनाता है, उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है और समाज के भीतर आ र्थक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।

इसके अलावा सरकार इस आंदोलन के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में सांस्कृतिक और कलात्मक अ भव्यक्तियों के महत्व को पहचानती है। दिव्यांग व्यक्तियों की प्रतिभा को उजागर करके समाज रूढ़िवादिता को चुनौती दे सकता है और उनकी क्षमताओं की अ धक सूक्ष्म समझ को बढ़ावा दे सकता है। जैसे-जैसे भारत इस यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, दिव्यांगता अ धकारों पर जोर सभी व्यक्तियों के व वध योगदान को मान्यता देने के लए सरकार के समर्पण को रेखां कत करता है, जिससे अंततः अ धक समावेशी और न्यायसंगत भ वष्य का मार्ग प्रशस्त होता है।

सुगम्य भारत अभयान

दिव्यांगजन सशक्तिकरण वभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा 3 दिसंबर, 2015 को शुरू कए गए सुगम्य भारत अ भयान (सुगम्य भारत अ भयान) का उद्देश्य पूरे भारत में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लए सार्वभौ मक पहुंच प्राप्त करना है।

ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शा मल हैं ः

1. पर्यावरण सुलभता: सभी के लए बाधा मुक्त ने वगेशन सुनिश्चित करने के लए स्कूलों, च कत्सा सु वधाओं और कार्यस्थलों जैसे भौतिक स्थानों को बढ़ाना।
2. परिवहन सुलभताः दिव्यांगजनों के लए स्वतंत्र गतिशीलता की सु वधा के लए हवाई यात्रा, बसों, टैक्सियों और ट्रेनों जैसे परिवहन के व भन्न साधनों तक पहुंच में सुधार करना।

3. सूचना और संचार: वेबसाइट की पहुंच में सुधार करके, ऑ डयो- वजुअल मी डया सामग्री प्रदान करके और महत्वपूर्ण जानकारी को दैनिक जीवन के लए समझने योग्य सुनिश्चित करके एक सुलभ सूचना पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
4. सांकेतिक भाषा तक पहुंच: ब धर और सुनने में असमर्थ सूमह का सहयोग करने के लए सार्वजनिक टेली वजन समाचारों में शीर्षक और व्याख्या को बढ़ाने के साथ-साथ सांकेतिक भाषा दुभा षयों की उपलब्धता और प्र शक्षण को बढ़ावा देना।

दिव्य कला मेला

सामाजिक न्याय और अ धकारिता मंत्रालय द्वारा 2 दिसंबर, 2022 से शुरू कया गया दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों या अलग-अलग-सक्षम व्यक्तियों की समावे शता और सशक्तिकरण की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह आयोजन देश में दिव्यांगता और शल्प कौशल के इर्द- गर्द वक सत हो रही कहानी के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो ऐतिहा सक और सांस्कृतिक दोनों आयामों पर प्रकाश डालता है। ऐतिहा सक रूप से भारत में शल्पकला कई समुदायों के लए पहचान और आजी वका का स्रोत रही है। सदियों से स्थानीय परंपराओं और कौशल को एक साथ बुनते हुए शल्प पीढ़ियां चली आ रही हैं। हालां क इस समृद्ध टेपेस्ट्री (चत्रपट) में दिव्यांग कारीगरों की भागीदारी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। दिव्य कला मेले की स्थापना इन कारीगरों के योगदान को पहचानने और मनाने में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

अपनी स्थापना के बाद से दिव्य कला मेले का तेजी से वस्तार हुआ है, जिसमें पूरे भारत के व भन्न राज्यों में 20 से अ धक मेले आयोजित कए। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में मेले का आयोजन कया गया। वहां 100 प्रतिभा गयों ने जै वक खाद्य पदार्थों और हथकरघा के साथ-साथ घर की सजावट, कपड़े, पर्यावरण के अनुकूल स्टेशनरी, खलौने और व्यक्तिगत सहायक उपकरण सहित व भन्न प्रकार के उत्पादों का प्रदर्शन कया। यह मेला सरकार की 'वोकल फॉर लोकल' पहल के साथ मेल खाती है, जिसका उद्देश्य कारीगरों को सशक्त बनाना और आगंतुकों को उनके काम का समर्थन करने के लए प्रोत्साहित करना है।

यह वृद् ध न केवल दिव्यांग कारीगरों की प्रतिभा की मान्यता को दर्शाती है, बल्कि इन समुदायों के भीतर आत्मनिर्भरता और आ र्थक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

प्रत्येक मेला एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जो कारीगरों को अपने काम का प्रदर्शन करने, स्थानीय बाजारों के साथ जुड़ने और संभा वत खरीदारों और व्यावसायिक भागीदारों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।

मेले में हस्त शल्प, हथकरघा और जै वक वस्तुओं सहित उत्पादों की एक समृद्ध श्रृंखला प्रद र्शत की जाती है। यह न केवल भारतीय शल्प कौशल की व वधता को दर्शाता है बल्कि प्रत्येक रचना के पीछे की अनूठी कहानियों को भी सामने लाता है। प्रत्येक कारीगर का काम उनकी सांस्कृतिक वरासत को दर्शाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है क यह समाज में दृढ़ता और मान्यता की इच्छा का प्रतीक है।

उत्सव के केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम '**दिव्य कला शक्ति**' है, जिसमें दिव्यांगजन कलाकारों द्वारा उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन कया जाता है। यह कार्यक्रम न केवल दिव्यांग समुदाय के भीतर अपार प्रतिभा को उजागर करता है बल्कि कला में उनकी क्षमताओं और योगदान के बारे में एक शक्तिशाली ववरण के रूप में भी कार्य करता है। जुनून और रचनात्मकता से भरे ये प्रदर्शन सामाजिक धारणाओं को चुनौती देते हैं और परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, यह दर्शाते हुए क कला कोई सीमा नहीं जानती है।
इसके अलावा इस आयोजन को एनएचएफडीसी, एनबीसीएफडीसी, एनएसएफडीसी और एनएसकेडीएफसी जैसे वत्तीय संस्थानों का समर्थन प्राप्त था, जिनका लंबे समय से कारीगरों को आ र्थक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रहा है। यह साझेदारी दिव्यांग कारीगरों के उत्थान, उनकी आ र्थक स्थिरता और व्यापक बाजार में एकीकरण सुनिश्चित करने के लए ल क्षत समर्थन की आवश्यकता की बढ़ती मान्यता को दर्शाती है।

दिव्य कला मेला देश भर में आयोजित कया जा रहा है, यह सभी व्यक्तियों की क्षमताओं के समावेश और मान्यता की दिशा में एक व्यापक आंदोलन का प्रतीक है। यह वरासत, कौशल और सशक्तिकरण का एक उत्सव है, जो उन ऐतिहा सक कहानियों को चुनौती देता है जिन्होंने अक्सर दिव्यांगों के योगदान को दर कनार कर दिया है। इस तरह दिव्य कला मेला न केवल दिव्यांग कारीगरों की वर्तमान प्रतिभा को प्रद र्शत करता है बल्कि एक अ धक समावेशी भ वष्य के लए मंच भी तैयार करता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता को स्वीकार कया जाता है और उसका उत्सव मनाया जाता है।

दिव्यांगजनों के लए भारत सरकार द्वारा की गई पहल

पहल

दिव्यांगजन अधकार अधनियम, 2016: दिव्यांगजन अ धकार (आरपीडब्ल्यूडी) अ धनियम 2016 में अ धनिय मत कया गया था और 19 अप्रैल, 2017 को लागू हुआ, जिसने 1995 के दिव्यांगजन अ धनियम की जगह ली। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है क दिव्यांग व्यक्ति गरिमा के साथ, भेदभाव से मुक्त और समान अवसरों के साथ रह सकें। अ धनियम में इन अ धकारों को बनाए रखने के लए व शष्ट प्रावधान शा मल

हैं और दिव्यांगों के अ धकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।

राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मान सक मंदता (बौद् धक दिव्यांगता) और एका धक वकलांगता (बहुदिव्यांगता) वाले व्यक्तियों के कल्याण के लए अ धनियम, 1999 : यह अ धनियम संबं धत मामलों और प्रासं गक प्रावधानों के साथ-साथ ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मान सक मंदता (बौद् धक दिव्यांगता) और एका धक वकलांगता (बहुदिव्यांगता) वाले व्यक्तियों के कल्याण के लए सम र्पत एक राष्ट्रीय निकाय की स्थापना करता है।

भारतीय पुनर्वास परिषद अ धनियम, 1992: भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। सतंबर 1992 में आरसीआई अ धनियम को संसद द्वारा अ धनिय मत कया गया था, जिससे यह 22 जून, 1993 को एक वैधानिक निकाय बन गया। अ धनियम का दायरा बढ़ाने के लए वर्ष 2000 में इसमें संशोधन कया गया था। आरसीआई के अ धदेश में दिव्यांग व्यक्तियों के लए सेवाओं का वनियमन और निगरानी करना, पाठ्यक्रम का मानकीकरण करना और पुनर्वास और वशेष शक्षा के क्षेत्र में योग्य पेशेवरों और क र्मयों का केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना शा मल है।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधकारों के कार्यान्वयन के लए योजना अधनियम 2016 (सपडा) :
मार्च 2015 में शुरू की गई कौशल वकास के लए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) 15 से 59 वर्ष की आयु के दिव्यांगों के लए कौशल प्र शक्षण पर केंद्रित है। इसमें सुनने और बोलने में असमर्थ लोग भी शा मल हैं। यह योजना अम्ब्रेला स्कीम एसआईपीडीए (सपडा) के तहत लागू की गई है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लए डीईपीडब्ल्यूडी की योजनाएं

❖ **वकलांग व्यक्तियों को सहायता/उपकरणों की खरीद/फटिंग के लए सहायता (एडीआईपी):** वभाग 1981 से एडीआईपी योजना संचालन कर रहा है। इसके तहत मूक-ब धर व्यक्तियों सहित दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता और सहायक उपकरण वतरित करने के लए व भन्न एजें सयों को धन जारी कया जाता है। इस योजना में श्रवण बा धत बच्चों के लए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का प्रावधान शा मल है।

❖ **समर्थ राहत देखभाल:** राष्ट्रीय न्यास अ धनियम के तहत मान्यता प्राप्त बीपीएल और एलआईजी परिवारों से अनाथों, संकटग्रस्त परिवारों और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लए अस्थायी आवास प्रदान कया जाता है।

बधर कॉलेजों को वत्तीय सहायता: भारत के पांच क्षेत्रों में ब धरों के लए मौजूदा कॉलेजों को वत्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह पहल यूजीसी-अनुमोदित संस्थानों से संबद्ध मूक-ब धर छात्रों के लए शक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करती है।

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) :

यह केंद्रीय योजना मूक-ब धर छात्रों सहित वकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के कल्याण के लए प्री स्कूल, प्रारं भक हस्तक्षेप, वशेष स्कूल और समुदाय-आधारित पुनर्वास जैसी परियोजनाएं चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों को अनुदान व सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय दिव्यांगजन वत्त और वकास निगम (एनडीएफडीसी) : एनडीएफडीसी दिव्यांगजनों के सामाजिक-आ थक सशक्तिकरण के लए रियायती ऋण प्रदान करता है। यह दो प्रमुख योजनाओं का संचालन करता है: इनमें **दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई)** और **वशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई)** शा मल हैं।

वकलांग छात्रों के लए छात्रवृत्त: वभाग छात्रवृ त्त के लए एक व्यापक योजना लागू करता है, जिसमें छह घटक शा मल हैं।

भारतीय सांकेतिक भाषा शक्षण में डप्लोमा: भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्र शक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) द्वारा संचा लत यह कार्यक्रम व शष्ट वकलांगता आईडी (यूडीआईडी) के साथ पंजीकृत ब धर छात्रों के लए ट्यूशन फीस माफ करता है। आईएसएलआरटीसी ने ब धर छात्रों के लए शक्षण और संचार प्र क्रया को सु वधाजनक बनाने के लए 10,500 शब्दों का एक सांकेतिक भाषा शब्दकोश भी प्रका शत कया है।

पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल: इस पोर्टल में दो मॉड्यूल शा मल हैं

कौशल प्रशक्षण: देश भर में दिव्यांगजनों के लए कौशल प्र शक्षण प्रदान करता है।

दिव्यांगजन रोजगार सेतु: दिव्यांगजनों और नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जो रोजगार के अवसरों पर जियो-टैग की गई जानकारी प्रदान करता है।

❖ **राष्ट्रीय संस्थान और समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी):** दो राष्ट्रीय संस्थान अली यावर जंग नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डसेबि लटीज (एवाईजेएनआईएसएचडी) और इं डयन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (आईएसएलआरटीसी) श्रवण और ब धर से संबं धत अक्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त 25 समग्र क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने, पेशेवरों को प्र श क्षत करने और दिव्यांगजनों की जरूरतों और अ धकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले आउटरीच केंद्रों के रूप में अनुमोदित कया गया है।

निष्कर्ष : समावेशी भवष्य के लए एक दृष्टिकोण

भारत में दिव्यांगता मामलों का वकास दिव्यांग व्यक्तियों के अ धकारों और क्षमता की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। सम र्पत वभाग और पहल की स्थापना समाज के भीतर समावे शता, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। प्रतिभा दिखाने और आ थक अवसरों को

सु वधाजनक बनाने के लए मंच प्रदान करके ये प्रयास न केवल व्यक्तियों को सशक्त बनाते हैं बल्कि एक अ धक समावेशी समाज में भी योगदान करते हैं, जहां हर कोई आगे बढ़ सके।

संदर्भ

• **https://socialjustice.gov.in/common/1508**
• **https://depwd.gov.in/video/divya-kala-mela-celebrating-divyang-artistry/**

1. **इस पहल का उद्देश्य आकांक्षी ब्लॉकों की आबादी के बीच आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करना, उन्हें सतत वकास और समृद्ध की ओर ले जाना है।**
2. राष्ट्रीय वकलांग वत्त और वकास नगम
3. राष्ट्रीय पछड़ा वर्ग वत्त और वकास नगम
4. राष्ट्रीय अनुसू चत जाति वत्त और वकास नगम
5. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वत्त और वकास नगम
6. https://thenationaltrust.gov.in/upload/uploadfiles/files/National%20Trust%20Act%20-%20Englsih.pdf
7. आय-सृजन गति व धयों, उच्च शक्षा, व्यावसायिक प्र शक्षण और सहायक उपकरणों की खरीद के लए रियायती ब्याज दरों पर 50 लाख रुपये तक का ऋण।
8. छोटे/सूक्ष्म व्यवसायों और वकासात्मक गति व धयों के लए उ चत दरों पर ₹60,000 तक का ऋण प्रदान करना
9. प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X); पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डग्री/ डप्लोमा); उत्तम दर्जे की शक्षा (उत्कृष्टता के अ धसू चत संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डग्री/ डप्लोमा); राष्ट्रीय फैलो शप (एम. फल/पीएचडी भारतीय वश्व वद्यालयों में); राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृ त्त (वदेश में मास्टर डग्री और पीएचडी वश्व वद्यालय); नि:शुल्क को चंग (सरकारी क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लए) तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम)
10. यूडीआईडी उप योजना को देश भर में दिव्यांगजनों के लए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की दृष्टि से लागू कया जा रहा है। यूडीआईडी परियोजना के तहत संबं धत राज्य सरकारों/केंद्र शा सत प्रदेशों द्वारा अ धसू चत सक्षम च कत्सा प्रा धकरणों के माध्यम से वकलांग व्यक्तियों को वकलांगता प्रमाण पत्र और व शष्ट वकलांगता पहचान पत्र जारी कए जाते हैं।

• https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2059420
• https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1880583
• https://socialjustice.gov.in/public/ckeditor/upload/43161654148172.pdf
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/179/AU2665.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1714/AU295.pdf?source=pqals#:~:text=(VIII)%20National%20Divyangjan%20Finance%20and,dumb%20persons%20throughout%20the%20country
• https://depwd.gov.in/accessible-india-campaign/
• https://nhrc.nic.in/sites/default/files/DisabilityRights.pdf
• https://thenationaltrust.gov.in/content/scheme/samarth.php
• https://depwd.gov.in/acts/

एमजी/आरपीएम/केसी/आरकेजे